

धारा 82 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत उद्घोषणा

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त रनवीर सिंह, पुत्र श्री जगपाल सिंह, निवासी सी-130, सिंगलपुर, शालीमार बाग, दिल्ली गाड़ी नं० DL-1PB-1296 के चालान नं. 0668318 धारा-66(1)/192 एम० वी० एक्ट ट्रैफिक सर्किल पार्लियामैन्ट स्ट्रीट दिल्ली में वांछित है और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी के वारंट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त रनवीर सिंह मिल नहीं रहा है, और मुझे समाधानप्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त रनवीर सिंह फरार हो गया है या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आपको छिपा रहा है।

इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि उपरोक्त गाड़ी नं. DL-1PB-1296 के चालान नं. 0668318 धारा-66(1)/192 एम० वी० एक्ट ट्रैफिक सर्किल पार्लियामैन्ट स्ट्रीट दिल्ली के उक्त अभियुक्त रनवीर सिंह से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष या मेरे समक्ष उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक 14.10.2011 को माननीय अदालत में पेश हो।

आदेशानुसार :

एम.एस. पुनीत पाहवा

मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट-02 (ट्रैफिक)

कमरा नं. 15, भू-तल,

पटियाला हाउस कोर्ट, नई दिल्ली